

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी:- उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :- 58 / 2025

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

-:बनाम:-

सचिन मितल पुत्र जनकराज मितल (विक्रेता)
मैसर्स:-कृष्णा ट्रेडर्स, शॉप नं. 121, नई धान मण्डी के पास, हनुमानगढ़ टाउन,
जिला हनुमानगढ़।
निवासी:-लखुवाली हैड, वार्ड नं. 03, रावतसर, जिला हनुमानगढ़।



-अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 58

उपस्थित:-

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी स्वयं।

-:निर्णय:-

दिनांक :-11.08.2025

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 28.05.2024 को दोपहर 01.35 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्स:-कृष्णा ट्रेडर्स, शॉप नं. 121, नई धान मण्डी के पास, हनुमानगढ़ टाउन, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर सचिन मितल पुत्र जनकराज मितल (विक्रेता) निवासी-लखुवाली हैड, वार्ड नं. 03, रावतसर, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते प्लास्टिक कंटेनर में Dhaniya Powder तादाद करीब 10 किलोग्राम रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 02 किलोग्राम Dhaniya Powder नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Dhaniya Powder के खरीद मूल का 360/-रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा 02 किलोग्राम Dhaniya Powder को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और चार लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं. एके-3467 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके-3467 मिन पर दर्ज कर चारों शीशीओं पर चिपकाया। प्रत्येक शीशी को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार-चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतिया तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हेल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 734 दिनांक 10.06.2024 जिसके अनुसार नमूना जांच Contravene of Regulation Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/8243-44 दिनांक 24.06.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को वारंते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Contravene of Regulation खाद्य पदार्थ Dhaniya Powder का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Dhaniya Powder विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Dhaniya Powder की जांच में Contravene of Regulation की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Contravene of regulation खाद्य पदार्थ Dhaniya Powder का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Contravene of Regulation कृत्य के लिए धारा 58 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/- (अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़